



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित)

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, बांदरसिंदरी, जिला अजमेर-305817

मासिक आधार पर वाहन किराए पर देने हेतु सीमित निविदा आमंत्रण

खण्ड-1

सीमित निविदा सूचना

- 1.1 विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर एक वाहन (टाटा मैजिक/महिन्द्रा मैक्सिमा/बोलेरो/टवेरा या अन्य कोई 15-20 सीटर वाहन इत्यादि) किराए पर लेने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित करता है। प्रारंभिक रूप में वाहन को किराए पर लेने की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। यद्यपि यदि संविदाकार की सेवाएं संतोषप्रद रहीं तो संविदा अवधि को एक अन्य वर्ष के लिए समान दरों और शर्तों के आधार पर आपसी करार के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक पार्टियां/सेवा प्रदाताएं निर्धारित आवेदन के साथ तकनीकी निविदा (प्रपत्र-2) तथा वित्तीय निविदा (प्रपत्र-3) के अनुसार निविदा भेज सकते हैं।
- 1.2 तकनीकी निविदा के साथ 1000/- रुपये की धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में तथा किशनगढ़ शाखा पर देय होने चाहिए।
- 1.3 सीमित निविदा दिनांक 21.12.2018 दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व निम्नलिखित पते पर अवश्य पहुंच जानी चाहिए।
- कुलसचिव
(प्रशासनिक भवन – कमरा नम्बर 101)
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, बांदरसिंदरी,
जिला अजमेर-305817
- 1.4 तकनीकी निविदा (प्रपत्र-2), वित्तीय निविदा (प्रपत्र-3) सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग बंद लिफाफे में होनी चाहिए और दोनों बंद लिफाफे एक अलग बड़े लिफाफे में बंद होने चाहिए। जिस पर “किराए पर वाहन लेने हेतु निविदा” अंकित हो।
- 1.5 तकनीकी निविदा, निविदा समिति द्वारा उसी दिन दिनांक 21.12.2018 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। द्वितीय चरण में तकनीकी निविदा में उत्तीर्ण निविदाकारों का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

खण्ड-2

नियम व शर्तें

- 2.1 सभी वाहन आवश्यक रूप से वर्ष 2012 अथवा उसके बाद के मॉडल होने चाहिए।
- 2.2 वाहन की उपलब्धता 24x7 आधार पर चिकित्सीय रूप से स्वस्थ चालकों के साथ होनी चाहिए।
- 2.3 किराए की अवधि के दौरान वाहन पूर्णतया: राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बांदरसिंदरी, किशनगढ़ के नियंत्रण में होगा।
- 2.4 मासिक किराये पर लिए गए वाहन का अधिकांश उपयोग राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर से रा. रा. 8, बांदरसिंदरी हाईवे पर आने-जाने के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार वाहन का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकता है।
- 2.5 वाहन का प्रयोग दिन में मासिक आधार पर होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में कार्यभार दिया जाएगा।
- 2.6 आवश्यकतानुसार वाहन चलाने के समय में बदलाव किया जा सकता है।
- 2.7 आवश्यकता पड़ने पर वाहन का अन्तर्राज्यीय उपयोग भी किया जाएगा।
- 2.8 सफल निविदाकार को विश्वविद्यालय द्वारा कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर निर्धारित सुरक्षा राशि 30,000/- रुपये आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा।
- 2.9 सभी असफल निविदाकारों की धरोहर राशि निविदा की अवधि की समाप्ति पर और कार्य आदेश के जारी होने के उपरान्त लौटा दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई भी ब्याज विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

जमा धरोहर राशि / सुरक्षा राशि की जब्ती

- जमा धरोहर राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जाएगा:-
- यदि निविदाकार ने निविदा दस्तावेज में किसी भी हालत में छेड़छाड़ की हो.
 - यदि निविदाकार सुरक्षा राशि जमा नहीं करता है.
 - यदि सफल निविदाकार आदेश की पुष्टि उपरांत नियत समयावधि में वाहन प्रदान करने में असफल होता है तो विश्वविद्यालय को पूरा अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय में जमा सुरक्षा राशि को जब्त कर ले.
 - यदि सूचना/प्रमाणपत्र/दस्तावेज किसी भी हालत में किसी भी स्तर पर झूठा पाया जाये.
- 2.10 निविदाकार को लिखित रूप में एक घोषणा पत्र (प्रपत्र-1) देना होगा कि वह सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है।
- 2.11 विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए निविदा को या किसी निश्चित वाहन को कार्य में लेना स्थगित कर दे।

खंड-3

संविदा के नियम व शर्तें

- वाहन के संचालन, रखरखाव व अनुरक्षण हेतु सभी खर्च, ईंधन, ल्युब्रीकेन्ट्स, ड्राइवर को वेतन, करों आदि की राशि के भारों का वहन संविदाकार को स्वयं करना होगा।
- वाहन चालक के पास वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा इसका प्रमाण संविदाकार विश्वविद्यालय को भी प्रदान करेगा।
- वाहन खराब होने कि स्थिति में संविदाकार बिना अतिरिक्त शुल्क लिए अन्य वाहन कि व्यवस्था करेगा।
- चालक के आचरण हेतु संविदाकार पूर्णतया जिम्मेदार होगा और किसी भी वक्त यदि चालक विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे संविदाकार को तुरंत प्रभाव से बदलना होगा।
- संविदाकार कोई भी ऐसा वाहन नहीं प्रदान करेगा जो एलपीजी/सीएनजी पर संचालित होता हो।
- किराए पर लिया गया वाहन पूर्णतः विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होंगा और जब उपयोग में ना हो तो राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर ही खड़ा किया जाए।
- संविदाकार सक्षम प्राधिकारी से वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, व्यापक बीमा, सड़क कर का भुगतान इत्यादि प्राप्त करेगा जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी।
- संविदाकार संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त वैध प्रदूषण जांच संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा तथा साथ ही देय अवधि से पूर्व इनका नवीनीकरण भी करवाएगा और जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी।
- वाहन सतत रूप से सभी खतरों से बचाव हेतु संविदाकार द्वारा बीमित कराया जाना चाहिए तथा बीमा पॉलिसियों को देय अवधि से पूर्व नवीनीकृत भी कराया जाए।
- चालक सभी आवश्यक दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखेगा यथा पंजीकरण के पत्र, बीमा संबंधी दस्तावेज, पीयूसी क्लीयरेंस, आरटीओ कर भुगतान के पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सभी दस्तावेज जिन्हें निर्धारित नियमों व विनियमों के तहत वाहन के साथ होने चाहिए।
- किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यह संविदाकार या उनके प्रतिनिधि (चालक) की जिम्मेदारी होगी कि वह पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) आदि दर्ज करवाए। सभी आरटीओ मामले तथा ट्रैफिक उल्लंघन के मामले की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।
- संविदा की वैधता पूर्णतया: वाहन किराए की सेवा प्रदान करने तक ही है और किसी भी समय या ट्रांसपोर्ट के किसी भी या सभी कर्मचारी द्वारा रोजगार के लिए राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
- चालक ईंधन भरवाने, पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि चुकाने के लिए पर्याप्त राशि अपने पास रखेगा। इनके दावे हेतु संविदाकार द्वारा साथ पर्याप्त दस्तावेज प्रदान करना आवश्यक होगा।
- चालक के रहने, खाने और आवागमन की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।
- अंतर्कालीन अवधि के दौरान यदि संविदाकार के द्वारा कोई अस्थायी वाहन प्रदान किया जाता है तो इसके किलोमीटर महीने के लॉग बुक में जोड़े जाएंगे।
- चालक अच्छे पहनावे में होना चाहिए। यदि चालक अच्छी वेशभूषा में नहीं पाया गया तथा उसका व्यवहार उचित तरीके का नहीं पाया गया और असुरक्षित ड्राइविंग करता पाया गया तो विश्वविद्यालय के

- पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे चालक को निलंबित कर दे और उनका प्रवेश वर्जित कर दे तथा वाहन को अनुपरिधित मान ले।
- 3.17 चालक को अपने वाहन में रखे वस्तु/सामान के प्रति सजग और सावधान होना चाहिए।
- 3.18 वाहन में सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।

खंड-4 **भुगतान की शर्तें**

- 4.1 बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।
- 4.2 बिल का भुगतान हेतु विश्वविद्यालय के निर्धारित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉगबुक की प्रतिलिपि बिल के साथ जमा कराना आवश्यक होगा।

खंड-5 **संविदा की समाप्ति**

- 5.1 विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्वाग्रह के संविदा के उल्लंघन होने की स्थिति में अथवा बिना किसी कारण बताए संविदा को पूर्णतया: या आंशिक रूप में समाप्त कर सकता है।
- 5.2 यदि संविदाकार कभी भी वाहन को संविदा में निर्धारित समयावधि में या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त समयावधि में विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाने में असफल होता है।
- 5.3 यदि संविदा की समाप्ति की जाती है तो, 30 दिन का नोटिस लिखित में दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।

खंड-6 **अधिकार क्षेत्र**

- 6.1 इस संविदा के तहत उठने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अधिकार क्षेत्र राजस्थान व उच्च न्यायालय बैच जयपुर होगा।

खंड-7 **योग्य निविदाकार**

- 7.1 संविदाकार के पास निविदा जमा करते वक्त 2012 या उसके बाद का स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड वाहन होना चाहिए तथा वाहन व्यावसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत हो।
- 7.2 निविदाकार के पास किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम को कम से कम एक व्यावसायिक वाहन को दो वर्ष के लिए प्रदान करने का अनुभव हो। इस संदर्भ में छूट देने का अधिकार केवल विश्वविद्यालय के पास होगा।

खंड-8 **निविदा दस्तावेज में संशोधन**

- 8.1 निविदा जमा करने की तारीख से पूर्व विश्वविद्यालय किसी भी वक्त किसी भी कारण से अपनी पहल पर या किसी संभावित निविदाकार के स्पष्टीकरण के आधार पर निविदा दस्तावेज में परिवर्तन कर सकता है।
- 8.2 संशोधन को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यह संशोधन सभी संभावित निविदाकारों पर बाध्यकारी होंगे।



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित
रा.रा.-8, बांदरसिंदरी, जिला-अजमेर-305817

प्रपत्र - 1

घोषणा पत्र

मैं, (व्यक्ति का नाम) यह घोषणा करता हूं कि मैं इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूं कि:

1. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी प्रकार की जानकारी मेरे अनुसार पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है। मैं यह समझता हूं कि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है या हमारी ऐसी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो हमारी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
2. मैं समझता हूं कि राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सभी मामलों में लिए गए निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे।
3. मैं राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निविदा दस्तावेज में लागू नियम व शर्तों के अनुसार कार्य करने को तैयार हूं और मैंने सभी निविदा नियमों को समझ लिया है।
4. मैं समझता हूं कि राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अधिकार है कि वे निविदा को स्वीकार एवं रद्द कर सकते हैं तथा किसी भी विशिष्ट कारण का व्यौरा दिए बिना अनुबंध देने से पूर्व या बाद किसी भी समय निविदा प्रक्रिया और अभिव्यक्ति को अस्वीकार कर सकते हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

पद:



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित
रा.रा.-8, बांदरसिंदरी, जिला-अजमेर-305817

प्रपत्र - 2

तकनीकी निविदा

वर्ष 2019–20 के लिए वाहन किराये पर देने हेतु आवेदन पत्र

- | | | | |
|----|---|--------------|------------------------------|
| 1. | संविदाकार का नाम | : | |
| 2. | पूर्ण पता | : | |
| 3. | टेलीफोन | : | |
| 4. | मोबाइल नम्बर | : | |
| 5. | ई-मेल | : | |
| 6. | भुगतान विवरण | धरोहर राशि : | डिमांड ड्राफ्ट राशि : |
| | | | डिमांड ड्राफ्ट नम्बर : |
| | | | दिनांक : |
| | | | बैंक व शाखा : |
| 7. | पैन कार्ड संख्या संविदाकार के पक्ष में | : | |
| 8. | अन्य विवरण | : | |
| 9. | आवश्यक दस्तावेज संलग्नक: | : | |
| | 1. मूल डिमांड ड्राफ्ट | | |
| | 2. पैन कार्ड की फोटो प्रति | | |
| | 3. वाहन पंजीकरण प्रमाण—पत्र | | |
| | 4. इन्स्योरेन्स व फिटनेस प्रमाण—पत्र की प्रति | | |
| | 5. अनुभव प्रमाण—पत्र | | |
| | 6. प्रदूषण प्रमाण—पत्र की प्रति | | |
| | 7. वाहन संबंधित अन्य प्रमाण—पत्र | | |
| | 8. बैंक विवरण | | |